कार्यालय
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, /रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कन्नौज

पत्रांकः **1012**/अधि0/स0सु0/2020 दिनांक–18.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणियों के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है,

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने, का अधिकार प्रदत्त किया गया है,

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद कन्नौज होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गई गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 07 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 08 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोडकर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	जशोदा कुसुमखोर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	जशोदा कुसुमखोर मार्ग	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km
2	संयोगिता मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	संयोगिता मार्ग	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km
3	मानीमऊ–नेरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मानीमऊ–नेरा मार्ग	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km
4	फगुहा भट्टा लोहामढ मतौली मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	फगुहा भट्टा लोहामढ मतौली मार्ग	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km

5	राष्ट्रीय राजमार्ग–91 से प्रतापपुर सियरमऊ अनौगी मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	राष्ट्रीय राजमार्ग–91 से प्रतापपुर सियरमऊ अनौगी मार्ग	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km
6	सौरिख, नादेंमऊ, तिर्वा, ठठिया–मकनपुर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग)	सौरिख, नादेंमऊ, तिर्वा, ठठिया–मकनपुर मार्ग	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km
7	खिरिया से नादेमऊ हसेरन सुखसेनपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	खिरिया से नादेमऊ हसेरन सुखसेनपुर मार्ग	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km
8	तिर्वा से सरैया इन्दरगढ गुनहा पुल होते हुये पल्यौरा तक मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	तिर्वा से सरैया इन्दरगढ गुनहा पुल होते हुये पल्यौरा तक मार्ग	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km
9	ठठिया से खैरनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	ठठिया से खैरनगर मार्ग	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km
10	तिर्वा खैरनगर औसेर हमीरपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	तिर्वा खैरनगर औसेर हमीरपुर मार्ग	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km
11	फतेहगढ छिबरामऊ (प्रमुख जिला मार्ग –9)	फतेहगढ छिबरामऊ	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km
12	छिबरामऊ सौरिख विधूना मार्ग (मुख्य जिला मार्ग–13)	छिबरामऊ सौरिख विधूना मार्ग	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km
13	फतेहगढ गुरसहायगंज मार्ग (राज्य राजमार्ग–29ए)	फतेहगढ गुरसहायगंज मार्ग	40 Km	40 Km	40 Km	40 Km
14	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे 220किमी0 से 140 तक	40 Km	100 Km	80 Km	80 Km
15	कानपुर–अलीगढ़ वाया कन्नौज, फर्रुखाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग–91	मानीमऊ–जलालपुर पनवारा–जलालाबाद –गुरसहायगंज वाईपास–खुदागंज	40 Km	60 Km	60 Km	60 Km
16	कन्नौज से हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग–230बी	कन्नौज हरदोई मोड से मेंहदीघाट गंगापुल तक	40 Km	60 Km	60 Km	50 Km

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

I. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइनबोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जाएगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाएगा।

II. उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 मे विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेन्स

स) पुलिस वाहन

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहन।

III. उपरोक्त तालिका के कालम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोडकर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय–सयम पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा यथावत लागू रहेगी।

18.06.20

(संजय कुमार झा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कन्नौज

पृ0सं0:–1012/सं0सु0/गति सीमा/2020 समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1:– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2:– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश।

3:– जिलाधिकारी कन्नौज।

4:– पुलिस अधीक्षक कन्नौज।

5:– निदेशक छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6:– अपर परिवहन आयुक्त, (सड़क सुरक्षा) लखनऊ।

7:– अपर परिवहन आयुक्त, (आई0टी0) लखनऊ।

8:– उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर।

9:– संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) कानपुर।

10:– अधिशाषी अभियन्ता, प्रांतीय/निर्माण खण्ड, निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग कन्नौज।

11:– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कन्नौज/कानपुर।

12:– मुख्य सूचना अधिकारी, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ।

(संजय कुमार झा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कन्नौज